□□□□ □□□□□

स□□स्थ्य □□ □f□□□□ □ल□□□ □त्र□□□

स□□स्थ्य □□ □f□□□□ □ल□□□ f□□□□

□□□ □□□

□तारांकित प्रश्न □ख□□: 4450

19 □□□□, 2019 □□ □□□□□□□□□□□**प्रश्न** □□ □त□□

□□□□□त□□

4450. **श्र□** □□□ □ट्ट□

क□□ **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** □त्र□ □□ बताने का कृपा करगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू॰एच॰ओ॰) का रिपोट के अनुसार विश्व म प्रति वष गभावस्था से □□धि□ □□□□□□धि□/□□□f□□ □□□ □□□□ □ □□□□ □;

(□) □f□ □□,□ □□ □त□□□□ ब□□□□ क□□ □□□□ इसके क्या कारण ह □□□ □□ □□□ □□f □□□□□□□ □□ संबंध् म उत्तराखंड सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-□□□ क□□ □ □□□□; □□

(ग) ऐसी मौता का संख्या को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए ह/उठाए □□ □□□ □?

□त□□

स□□स्थ्य □□ □f□□□□ □ल□□□ □□ज□ मंत्री (श्री अश्वि□□ □□□□□ □□□)

(□) □□ (□): □□□□ □□□□□□□□□□, □□□□ □□□□□□□ प्र□□□ (□□□□□□-□□□□□□) द□□□ □□□ अद्यतन रिपोट के अनुसार वष 2014-16 □ □□□□ □□ □□□□□त□□□□ □□□□□ (□□□□□□) प्र□ 100,000 जीवित जन्म □□ 130 □□

□द□□□ □□□□□□-□□□□□□ f□□□ □□ □□□□□ □□□□□त□□□□ (2001-2003) □□□□□□□□□□□ प्र□□f□□ □□□□ □□□□□ (38%), □क□□□□ f□□□□ (5%) □□f□□ प्र□f□ (5%) □न□ परिस्थितियां (□क□□पिक गभावस्था, □□□□ □क□ल□□□, □म□□□स□) □f□ (34%)□

f□स□□ □ज□ □□□ □□□□□□□ □□□□ग□□ □ f□□□ □□□ □□

([illegible]): [illegible]ष्ट्री[illegible] स[illegible]स्थ्य [illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible] [illegible]त[illegible] [illegible] [illegible] निम्न[illegible] [illegible]:

- [illegible] [illegible]क्ष[illegible] [illegible] : (जेएसवाई) एक मांग संवधन एवं सशत नकद अंतरण स्का[illegible] [illegible], [illegible] [illegible]प्रै[illegible], 2005 [illegible]त[illegible] [illegible]द्देश[illegible] [illegible]रू [illegible]
- **जननी शिशु सुरक्षा कायक्रम (जेएसएसके)** जून 2011 म शुरू किया गया था तांकि गभवती महिलाओं ओर बीमार नवजातों [illegible] स्वास्थ्य [illegible]स[illegible]नों म प्रसव कराने वाली सभी गभवती महिलाओं को सीजेरियन सेक्श[illegible] [illegible]: [illegible]:[illegible]ल[illegible] और बिना खच के प्रसूति का पात्र बनाती है।
- **पीएमएसएमए के तहत प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व** [illegible] ([illegible]), [illegible] देश भी सभी गभवती महिलाओं को नियत दिन, [illegible]ल[illegible] विश्व[illegible] [illegible]क[illegible]क[illegible] प्रसव पूव परिचया प्रदान की जाती है। इस अभियान के एक भाग के रूप म, प्रत्ये[illegible] [illegible] 9 तारीख को लाभार्थियों को प्रसव पूव परिचया सेवाओं (जां[illegible] [illegible]) [illegible] न[illegible] [illegible] प्र[illegible] [illegible]
- **मातृ एवं शिशु पहचान प्रणाली (एमसीटीएस):** [illegible] प्र[illegible] [illegible] सरकार द्वारा समय पर और गुणवत्ता [illegible]क[illegible] सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रत्ये[illegible] [illegible] [illegible]च[illegible] [illegible]लिए शुरू की गई है।
- **मासिक ग्राम स्वास्थ्य** [illegible] **[illegible]** ([illegible]): [illegible] [illegible]रू[illegible] [illegible] स[illegible]स्थ्य का प्रावधान करने हेतु आंगनवाडी कद्रों म शुरू किया गया एक [illegible]
- **प्र[illegible] [illegible]:** [illegible] [illegible] [illegible]प्र[illegible] [illegible] [illegible], उपकरण एवं प्रशिक्षित जनशक्ति को सुदृढ़ किया गया है।
- **एफआरयू को कायप्रणालपी :** एफआरयू म आपात प्रसूति [illegible] प्र[illegible] [illegible] प्र[illegible]त[illegible]क बनाने के द्वारा किया जा रहा है। इन्ह प्र[illegible]त[illegible] [illegible]के[illegible], [illegible]क[illegible] [illegible]
- [illegible]त[illegible]क्ष[illegible] ([illegible]) : यह देा भर मे सुविधा कद्रों और सामुदायिक दोनों स्तरों [illegible] कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य [illegible]क[illegible] स[illegible] [illegible]त[illegible] [illegible] [illegible]था प्रसूति परिचया की गुणवत्ता [illegible]
- [illegible] [illegible] स[illegible]स्थ्य [illegible] प्रदाताओं को प्रशिक्षण देने दवाओं उपकरणों की आपूर्ति सूचना शिक्षा एवं संचार (जेईसी) इत्या[illegible] [illegible]ध[illegible] [illegible]द्द[illegible] [illegible]

- **क्षमता निमाण :** □ज्ञ□□□ (□□□□□□□) □□ □-□क□□ □ि□□ प्रसूति परिचया (ईएमओसी) □□□□ □ □□□□□□□ □कि□रों के क्षमता निमाण हेतु शुरू किया गया है ताकि कइन विषयों म विशेषज्ञों, □ख□त: ग्रामीण क्षेत्रों म, □□ □□□ □□ □□ि□□□ □□ □□□
- **□क्ष□□ प्र□□□□□□□□**: □□□ज□ों म प्रशिक्षण का गुणवत्ता म वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कायक्रमों के लिए निदिष्ट कौशल कद्रों के साथ स्थापित का गई ह। अब प्रशिक्षण □□□□□ □□□□□□□□□□ □ष्ट्री□ □□ □□□□ 100 □ज□ स□ो□ □□□□ प्र□□□□□□□□ प्र□□□□□□ □□
- □□□□□□□□□ **स्□स्थ्य** (□□□□□□) **ि□□** : ये भारी मामला भार वाले सुविधा कद्रों म स्थापि□□ किए गए ह ताकि माताओं और बच्चों को प्रदान का जाने वाली परिचया सेवाओं का गुणवत्ता □ □□□□ ि□□ □□ □□□
- **□क्ष□** : □क्ष□ कायक्रम दिसंबर, 2017 म प्रसूति कक्ष और मेटरनिटी ऑपरेशन थियेटरों म परिचया का गुणवत्ता म सुधार लाने के लिए शुरू किया गया था ताकि गभवती महिलाएं प्रसूति और प्रसव के तुरंत बाद सम्मा□□ □□□□□□त□□□क□ परिचया सेवाएं प्राप्त □□ □□
- **□त्री □□क्र□** : □□ 2018 म शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य धात्री सेवा म ऐसे नस प्रेक्टिशनस के लिए एक संवग सृजित करना है, □□ □□□□□□□ □न□□□□□ □□ मिडवाइवास (आईसीएम) क्षमताओं के अनुसार कुशलता प्राप्त ह तथा सहानुभूतिपूवत महिला कद्रित, प्र□□□, □□□□□□□□□□□ □□स्थ□ परिचया सेवाएं प्रदान करने म सक्षम ह।
- □□□□ 10 □□□ □न□□□ प्र□□□ □□□□□□ स्□स्थ्य कायकता (आशाकर्मी) प्रयोजित किए गए ह ताकि समुदाय, □ख□त: गभवती महिलाएं आसानी से स्वास्थ्य परिचया सेवाएं प्राप्त □□ □□
- **नियमित आईईसी/बीसी**□□ आयोजित का जाती ह जिनम एएमसी के लिए शीघ्र पंजीकरण, ि□□ि□□ □□□□□, □स□□□□ प्र□□, पोषण और गभावस्था □□□□□□ □ि□□□□ □त□ि□ □□□□ □□□ □ि□□ □□

अनुलग्नक

मातृ [illegible]: [illegible]

([illegible]: [illegible] 2014-16)

राज्य	मातृ मृत्यु प्रति 1,00,000 जीवित जन्म
भारत	130
असम	237
आंध्र प्रदेश	74
बिहार / झारखंड	165
गुजरात	91
हरियाणा	101
कर्नाटक	108
केरल	46
मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़	173
महाराष्ट्र	61
ओडिशा	180
पंजाब	122
राजस्थान	199
तमिलनाडु	66
तेलंगाना	81
उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड	201
पश्चिम बंगाल	101
* अन्य	97

- अन्य [illegible]